

6. उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर: - उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को
उपर उठाने के लिए आयोग ने

निम्नलिखित सुझाव दिये -

- (i) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश आखिरी आरक्षित स्तर पर किये जा।
- (ii) स्नातक स्तर पर इण्टरमीडिएट पास छात्रों में से केवल योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाये।
- (iii) शोध कार्य के अक्सर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण केवल योग्य संकेत सक्षम छात्रों को दिया जाये।
- (iv) विश्वविद्यालय और सम्बन्ध महाविद्यालयों का शिक्षण स्तर परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त कम से कम 180 कार्य दिवस का हो।
- (v) विश्वविद्यालयी परीक्षा में सुधार किया जाये, वे परीक्षाएं ऐसी होनी चाहिए, जिनसे छात्रों की वास्तविक योग्यता एवं क्षमता का पता लगाया जा सके।

7. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन: - आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन

बनाये रखने के लिए निम्न लिखित सुझाव दिये -

- (i) छात्रों को दलगत राजनीति से अलग रखा जाये।
- (ii) छात्रों और शिक्षकों के बीच मित्र के सम्बन्ध हो।
- (iii) छात्रों के लिए व्यायाम, खेलकूद आदि क्रियाओं का आयोजन किया जाये।

विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षक: -

विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षकों की योग्यता एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये -
(i) विश्वविद्यालयों और सम्बन्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ शिक्षण योग्यता और नेतृत्व शक्त को भी देखना चाहिए।
आयोग ने शिक्षकों के नये उच्च वेतनों को शीघ्र लागू करने का सुझाव दिया।

(i) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 घंटे का कार्य भार सौंपा जाये। (iii) 3.
1.
2.

विश्वविद्यालयी शिक्षार्थी:— इस दिशा में आयोग ने (i) निम्नलिखित सुझाव दिये हैं। (iv)

- (i) निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाये। 1
- (ii) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्रावासों का प्रबंध किया जाये तथा इनमें अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाये। 2
- (iii) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघों का गठन किया जाये। 2
- (iv) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रोक्टोरिपल बोर्ड का गठन किया जाये। (v)
1.

उच्च व्यवसायी एवं तकनीकी शिक्षा:— आयोग ने विभिन्न प्रकार की व्यवसायी 2.

एवं तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में अलग-अलग सुझाव दिये। ये सुझाव इस प्रकार हैं। (i) 1.

- (i) **कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव:—** (ii)
 - 1. स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम सामान्यतः तीन वर्ष का हो, परन्तु प्रथम पालन के साथ 4 वर्ष का हो। 2.
 - 2. कृषि के वर्तमान कालों को अधिक साक्षरता देकर उनकी दशा में सुधार किया जाये।
- (ii) **वाणिज्य शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव:—**
 - 1. स्नातक स्तर पर छात्रों को प्रथम दो वर्षों में बैंकिंग, एकाउन्टेंसी और बीमा आदि का ज्ञान कराया जाये। तीसरे वर्ष में उन्हें वाणिज्य की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी कम्पनी में प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्य करना अनिवार्य हो। 1.
2.
 - 2. वाणिज्य की स्नातकोत्तर कक्षाओं में वाणिज्य में स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण विशेष योग्यता प्राप्त छात्रों को ही प्रवेश दिया जाये।

(iii) इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव :-

1. इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कालेजों का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाये।
2. देश की वर्तमान उद्योगों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रकारके इंजीनियरिंग और तकनीकी कालेज तुरंत खोले जायें।

(iv) चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव :-

1. चिकित्सा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो, उसके बाद 12-15 माह तक व्यावहारिक कार्य कराया जाये, तथा हाथों को डिग्री प्रदान की जाये।
2. चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्राचीन आयुर्वेद के सामान्य रसों को सम्मिलित किया जाये।

(v) विधि शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव :-

1. विधि का स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो। इसके अंतिम वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाये।
2. विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक उत्तीर्ण हो।

शिक्षक-प्रशिक्षण :-

1. शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक ज्ञान और प्रयोगात्मक कार्य दोनों पर समान बल दिया जाये। तथा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो।
2. शिक्षक-प्रशिक्षण विभागों अथवा महाविद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाये, जिन्हें व्यावहारिक कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव हो।

उच्च ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सुझाव

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाये।
 2. ग्रामीण शिक्षा पर होने वाले व्यय को केन्द्रिय और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करेंगी।
- एक ग्रामीण महाविद्यालय में 300 से अधिक छात्र न हो। प्रत्येक ग्रामीण विश्वविद्यालय और उसके सम्बन्ध ग्रामीण महाविद्यालयों